

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, भदोही।

उपस्थित:-

शैलोज चन्द्रा

एच०जे०एस०।

अंतिम रिपोर्ट संख्या-236 सन 2022
CNR No.:UPSN01-002384-2022

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

धनेश कुमार यादव

अपराध संख्या-377 सन 2021

अन्तर्गत धारा-135 भा०वि०अधि०

एन्टी पावर थेफ्ट थाना भदोही,

जनपद-भदोही।

आदेश

12.11.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई।

यह प्राथमिकी वादी मुकदमा उप निरीक्षक मनोज राय, भदोही के द्वारा पंजीकृत करायी गयी है और उपभोक्ता के द्वारा दौरान विवेचना जुर्माना धनराशि जमा कर दिया गया है और प्राथमिकी को वापस लिए जाने का अनुरोध अधिशासी अभियंता विद्युत ने किया है। विवेचक के द्वारा भुगतान व शमन धनराशि प्राप्त करने के कारण अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है। वादी ने अंतिम आख्या को स्वीकार करने पर अनापत्ति दिया है।

अतः अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(शैलोज चन्द्रा)

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1
भदोही।